

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठारसीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./70/2019

1. रामचन्द्र पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी निमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. मिश्रीलाल पुत्र नाथू जाति जाट निवासी निमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील अपीलाण्ट- श्री देवकान्त व्यास

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा निमेडा स्थित आराजी जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं. 333 में दर्ज खसरा नं. 1703/2325 रकबा 1.19 हैं जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 2 जरिये तहसीलदार भिनाय ने वादीया को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण वादीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 नोटिस तामिली के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी बतौर सहखातेदार दर्ज हैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों की तन्हा स्वामी नहीं होकर स्वयं के हिस्से तक भूमि की अधिकारी हैं जिसका वर्तमान में विधिवत विभाजन नहीं होने एवं अन्य खातेदारान द्वारा पत्थरगढी हेतु पक्षकारान नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम आनुतोष योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सारे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

